न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./143/2024/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. जगाराम पुत्र मांगाराम 2. कृष्णाराम पुत्र मांगाराम 3. श्रीमती लेहरों पत्नी मांगाराम 4. पारसाराम पुत्र मांगाराम 5. जोईताराम पुत्र हरदाराम 6. रमेश पुत्र हरदाराम 7. वजाराम पुत्र केसाराम 8. शनीदेव पुत्र पोकराराम 9. गौतम पुत्र पोकराराम 10. गोविन्द पुत्र पोकराराम 11. सुरेश पुत्र पोकराराम 12. सुरेन्द्र पुत्र पोकराराम 13. चनणी पत्नी पोकराराम 14. दलाराम पुत्र केसाराम 15. हरचन्दराम पुत्र भैराराम 16. भलाराम पुत्र भैराराम 17. फूसाराम पुत्र भैराराम 18. माधाराम पुत्र भैराराम 19. सांवताराम पुत्र पोकराराम का. मु. 19/1बीरबल पुत्र सांवताराम उम्र 07 वर्ष 19/2खुशबू पुत्री सांवताराम उम्र 10 वर्ष 19/3श्रीमती लवगोंदेवी पत्नी सांवताराम उउम्र 28 वर्ष अपीलांट संख्या 19/1 से 19/2 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता लवगोंदेवी पत्नी सांवताराम 20. कुमारी दाड़मी पुत्री पोकराराम 21. कुमारी एलची पुत्री पोकराराम जातियान मेघवाल निवासी अजा का फांटा, भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. करनाराम पुत्र सोनाराम 2. पांचा पुत्र मोती 3. भगवाना पुत्र केसा 4. मोहन पुत्र केसा 5. रमकू पत्नी केसा 6. जमना पत्नी नरसी फौत के कायम मुकाम अपीलांट संख्या 05 व 06 7. गौतम नरसी 8. मसरा पुत्र नरसी 9. नगाराम पुत्र रणछाराम 10. नानजी पुत्र जवाना के का.मु. 10/1हरियादेवी पत्नी नानजीराम 10/2सांवलाराम पुत्र नानजीराम 10/3शिवजीराम पुत्र नानजीराम जाति मेघवाल निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 11. भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2017(2017/00159) बउनवान करनाराम वगैरह बनाम

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भगवानाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.07.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

1. वकील श्री हरीराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट संख्या 03 से 05 व 08 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—27.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 व 02 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया था कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 28 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 184 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा संख्या 184/1 रकबा 2.3310 हैक्टेयर, खसरा संख्या 202 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 203 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा संख्या 203/1 रकबा 1.1817 हैक्टेयर मौजा सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में आये हुए हैं जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 28 के खातेदारी की है। मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है परन्तु राजस्व रेकर्ड अलग—अलग हिस्से खुल्ले हुए नहीं है जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार गुड़ामालानी से तलब करने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं ने मौके पर नहीं जाकर पटवारी हल्का व आर आई द्वारा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अपीलांटगण के सम्मनों पर अपीलांटगण के फर्जी हस्ताक्षर किये गये तथा कुछ

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सम्मनों पर वादीगण अपने ही रिश्तेदारों व चहेतों लोगों को गवाह बनाकर आसामी के घर पर नहीं होने का कहते हुये सम्मन आबाद मकान पर चस्पा बता दिया जबकि अपीलांट द्वारा सम्मन लेने से इंकार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया व सी पी सी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत पक्षकारों के विरूद्ध पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर आर. आई द्वारा उतरदाता/वादी के प्रभाव में आकर वादग्रस्त भूमि पर जाये बिना कमरे में बैठकर वादी के कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरीत तैयार किया गया, जिस पर अपीलांटस के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान के भौतिक कब्जा, भूमि की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिये गये। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त की जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें

(अ[illegible]त कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी किये गये। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त प्रतिवादीगण/अपीलांट मौके पर उपस्थित थे लेकिन विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किये। अपीलांटस की मंशा उत्तरदाता/वादी के खातेदारी अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर बंटवारा नहीं होने देने की है। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण के नाम से सम्मन जारी किये गये जो अपीलांटगण से व्यक्तिगत तामील करवाये गये जो पर्याप्त तामील की श्रेणी में आते हैं। हस्तगत प्रकरण को कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु दिनांक 15.06.2018 को नियत किया गया उस वक्त भी अपीलांटगण की व्यक्तिगत तामील करवाई गई। अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील होने के बावजूद जानबूझकर अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व भी अपीलांट को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौके पर उपस्थित रहने बाबत नोटिस दिया गया। हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अपीलाधीन आराजी का बंटवारे के संबंध में किसी प्रकार का कोई परिशिष्ट नक्शा अपनी तरफ से पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश किया, जिस पर दिनांक 26.07.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांटस मौके पर उपस्थित आये लेकिन विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार गुड़ामालानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2017(2017/00159) बउनवान करनाराम वगैरह बनाम भगवानाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.07.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

27/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर